

**// आदेश //**

तृतीय श्रेणी से वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत किये गये निम्नलिखित वाणिज्य कर अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि तक के लिए वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ में आयोजित होने वाले व्यवसायिक प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु नामित किया जाता है :-

क्र०स०	नव पदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	प्रस्तावित प्रशिक्षण अवधि
1	श्री भूप सिंह खैरवार	गाजियाबाद	दि०14-09-15 से दिनांक 09-10-15
2	श्री सरोज शर्मा	चन्दौली	तदैव
3	श्री एम(0)के(0) अग्रवाल	मुख्यालय	तदैव
4	श्री नरेन्द्र कुमार	गोरखपुर	तदैव
5	श्री जी(0)एल(0) अस्थाना	सोनभद्र	तदैव
6	श्री सुरेन्द्र सिंह अरोड़ा	नोएडा	तदैव
7	श्री सुभाष चन्द्र गाँधी	नोएडा	तदैव
8	श्री बृजेश्वर दत्त त्यागी	नोएडा	तदैव
9	श्री कान्ती प्रसाद शर्मा	बुलन्दशहर	तदैव
10	श्रीमती प्रेमवती	गाजियाबाद	तदैव
11	श्री श्याम केश	मिर्जापुर	तदैव
12	श्री ओंकार नाथ	मिर्जापुर	तदैव
13	श्री सम्पूर्णा नन्द	मिर्जापुर	तदैव
14	श्री जितेन्द्र नाथ चतुर्वेदी	सोनभद्र	तदैव
15	श्री ऋषिपाल सिंह	गाजियाबाद	तदैव
16	श्री सूबे राम	गाजियाबाद	तदैव
17	श्री वीरपाल सिंह	बरेली	तदैव
18	श्री हसन एजाज	मिर्जापुर	तदैव
19	श्री मनमोहन तिवारी	चन्दौली	तदैव
20	श्री सतीश कुमार गुप्ता	श्यामली	तदैव
21	श्री राम गोपाल शर्मा	नोएडा	तदैव
22	श्री अतुल कुमार सिन्हा	चन्दौली	तदैव
23	श्री बसन्त लाल गुप्ता	महोबा	तदैव
24	श्री आर(0)एन(0) मिश्रा	बदायूँ	तदैव

उक्त नामित कार्मिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे दिनांक 14-09-2015 के पूर्वान्ह में प्रातः 09-30 बजे तक अपनी योगदान रिपोर्ट अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। नामित किये गये उक्त किसी भी अधिकारी को प्रशिक्षण से कोई छूट अनुमन्य न होगी। लखनऊ में तैनात अधिकारियों को छोड़कर शेष अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि को उनका दौरा माना जायेगा। उक्त नामित अधिकारियों में से यदि कोई अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित समय पर योगदान रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए संबंधित जोन के एडीशनल कमिश्नर व अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, गोमतीनगर लखनऊ द्वारा वांछित सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी ताकि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

उक्त प्रशिक्षण अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा विपरीत दशा में दोषी पाये जाने पर संबंधित अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रम से निष्कासित करके अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।


श्री रंजन  
2678  
03-9-15  
DPC/CD  
03-9-15

- 601 -  
( मुकेश कुमार मेश्राम )  
कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ।

सूचनांकन पत्र संख्या एवं दिनांक : उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर निदेशक (प्रशिक्षण)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके कार्यालय के पत्रांक-648 दिनांक 20-08-2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 2- एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, नोएडा एवं एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद-प्रथम/द्वितीय/मुरादाबाद/ गोरखपुर/ वाराणसी/ बरेली/झाँसी/ सहारनपुर/कानपुर / अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त नामित अधिकारियों में से अपने जोन के नव पदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारियों को अपने स्तर से निर्धारित प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कार्यमुक्त कर योगदान आख्या उक्त निर्धारित समय से प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।
- 3- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आडिट)वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि श्री एम0के0 अग्रवाल नव पदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारी मुख्यालय को उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु समय से कार्यमुक्त कर योगदान आख्या प्रशिक्षण केन्द्र में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।
- 4- असिस्टेन्ट कमिश्नर( आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित ।
- 5- संबंधित अधिकारियों को नाम से ।



( सुनील कुमार राय )

ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

